राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 4481/2024

दिव्या सिंह —अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा, भरतपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 24.12.2024
आदेश की दिनांक :

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्रा, अति. राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :— चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड–III, लेवल–I के पद पर महात्मा गांधी विद्यालय, नगला भगत, ब्लॉक सेवर जिला भरतपुर में कार्यरत हैं। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 06.12.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी को अधिशेष मानते हुए स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से अन्य ब्लॉक में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, ब्लॉक बयाना जिला भरतपुर में किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 08.12.2024 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त भी कर दिया गया। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का आगे कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान पद पर अधिशेष कार्मिक नहीं है। अपीलार्थी अध्यापक ग्रेड–III लेवल–I के पद पर महात्मा गांधी विद्यालय, नगला भगत, ब्लॉक सेवर जिला भरतपुर में प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 03.10.2023 (अनुलग्नक–3) के द्वारा हुई थी तथा अपीलार्थी ने दिनांक 04.10.2023 (अनुलग्नक–4) को कार्यभार ग्रहण कर लिया था। अपीलार्थी वर्तमान में परीवीक्षा काल में है तथा प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी का परीवीक्षा काल अवधि में स्थानान्तरण किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 14.11.2024 (अनुलग्नक–5) अधिशेष कार्मिकों की नीति के विपरीत जाकर अन्य ब्लॉक में अपीलार्थी का स्थानान्तरण

किया गया है, जो अनुचित एवं विधि–विरूद्ध है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 06.12.2024 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 08.12.2024 को अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान अध्यापक ग्रेड–III, लेवल–I के पद पर महात्मा गांधी विद्यालय, नगला भगत, ब्लॉक सेवर जिला भरतपुर में निरन्तर कार्य करने दिया जावे।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने अपील का जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 23.01.2023 के द्वारा महात्मा गांधी विद्यालयों हेतु कैडर विदईन कैडर (**Cadre Within Cadre**) का निर्णय किया गया है। इन अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में विभाग में पूर्व से हिन्दी माध्यम विद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों का साक्षात्कार/विशेष चयन परीक्षा के माध्यम से चयन किया जाकर अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पदस्थापन किया जाता है। अपीलार्थी महात्मा गांधी विद्यालय हेतु चयनित भी नहीं है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को नियमानुसार हिन्दी माध्यम विद्यालय में स्वीकृत पद पर समायोजित किया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के समक्ष प्रस्तुत डीबी स्पेशल अपील संख्या 601/2024 मोनिका बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 16.07.2024 (अनुलग्नक–आर/1) के द्वारा प्रस्तुत याचिका को निम्न अभिमत प्रदान करते हुए अपास्त खारिज फरमाया गया है :–

> There is no law of universal application that a probationer cannot be transferred from one place to another during the period of probation. Rather, this is in the interest of the probationer and the department probationer has varied experience that while working at different places within the State.
>
> By the order dated 20th February 2024, the appellant has been transferred from one village to another within the District of Churu and on that count also no ground is made out for any interference by this Court.
>
> D.B. Special Appeal (Writ) No.601/2024 is dismissed.

तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत विशेष अनुमति अपील (सिविल) 36717/2017 नम्रता वर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में पारित आदेश दिनांक 06.09.2021(अनुलग्नक–आर/2) में अभिमत प्रदान करते हुए विशेष अनुमति याचिका को खारिज/अस्वीकार कर दिया गया। अतः अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है।

4. हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

5. प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड–III, लेवल–I के पद पर महात्मा गांधी विद्यालय, नगला भगत, ब्लॉक सेवर जिला भरतपुर में कार्यरत हैं। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 06.12.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी को अधिशेष मानते हुए स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से अन्य ब्लॉक में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, ब्लॉक बयाना जिला भरतपुर में किया गया तथा अपीलार्थी द्वारा दिनांक 18.12.2024 को कार्यभार ग्रहण कर लिया है। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 23.01.2023 के द्वारा महात्मा गांधी विद्यालयों हेतु कैडर विदईन कैडर (**Cadre Within Cadre**) का निर्णय किया गया है। इन अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में विभाग में पूर्व से हिन्दी माध्यम विद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों का साक्षात्कार/विशेष चयन परीक्षा के माध्यम से चयन किया जाकर अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पदस्थापन किया जाता है। अपीलार्थी महात्मा गांधी विद्यालय हेतु चयनित भी नहीं है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को नियमानुसार हिन्दी माध्यम विद्यालय में स्वीकृत पद पर समायोजित किया गया है।

6. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के समक्ष प्रस्तुत डीबी स्पेशल अपील संख्या 601/2024 मोनिका बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 16.07.2024 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत विशेष अनुमति अपील (सिविल) 36717/2017 नम्रता वर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में पारित आदेश दिनांक 06.09.2021 में अभिमत प्रदान करते हुए विशेष अनुमति याचिका को खारिज/अस्वीकार कर दिया गया। तद्नुसार परिवीक्षाधीन कार्मिक का स्थानान्तरण किया जा सकता है। सेवाविधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। नियोक्ता का यह विशेषाधिकार है कि वह अपने कार्मिक की श्रेष्ठ सेवायें किस स्थान पर उसे पदस्थापित कर वहां की जनता को प्रदान करना चाहता है। किसी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई विधिक अधिकार नहीं होता है। प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 06.12.2024 में हस्तक्षेप करने का कोई विधिक आधार नहीं है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य